

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2013

जनवरी-2013

शिक्षा विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|-----------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 01/लोक(शिक्षा)10/2011 | श्री रजनीकांत वर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह के द्वारा कुशासन तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन बगोदर गिरिडीह का परिवाद । | 07.01.2013 | परिवादी श्री अंबुज नाथ वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल वाद सं. 1394/2003 में न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित करते हुए वाद को संचिकास्त किया जा चुका है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर पुनः कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2. | 02/लोक(शिक्षा) 04/09 | श्री जगमोहन सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक उच्च विद्यालय बांकीकला अंचल पांकी जिला पलामू के बकाया राशि के भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में परिवाद । | 10.01.2013 | परिवाद काल बाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 3. | 01/लोक(शिक्षा)11/12 | मो० मुस्लिम अंसारी / मुस्लिम मियाँपर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत रहने की श्री शंभू यादव मधुपुर देवघर का शिकायत । | 08.01.2013 | उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार पाया गया । उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 4. | 02/लोक(शिक्षा)05/09 | ग्राम शिक्षा समिति, किस्को, थाना किस्को, लोहरदगा द्वारा पारा शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने संबंधी श्री मंगरा भगत एवं अन्य से प्राप्त शिकायत । | 08.01.2013 | निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखण्ड, राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

पुलिस विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|--------------------|--|-------------------|--|
| 1. | 02/लोक(पुलिस)25/12 | मधुपुर थाना काण्ड सं. 90/2012 के अभियुक्त मुकेश कुमार रजक को थाना प्रभारी आई० डी० राम द्वारा गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में वनदना कुमारी मधुपुर का शिकायत । | 10.01.2013 | अभियुक्त मुकेश कुमार रजक के विरुद्ध सहा दर्ज कर के पुलिस द्वारा अन्वेषण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतः इस दशा में परिवाद में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया । |

खाद्य आपूर्ति विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|----------------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 01/ लोक(खाद्य)38 एवं 40/05 | एक साल से सभी राशन कार्डधारियों को राशन नहीं देने के संबंध में मंजूर आलम तथा रियाज अंसारी जमुबा गिरिडिह का परिवाद । | 08.01.2013 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडिह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा दर्ज शिकायत सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

वन विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|-----------------|--|-------------------|--|
| 1. | 01/लोक(वन)02/11 | कोडरमा वन प्रमण्डल वन प्रक्षेत्र सतगॉवा के पदाधिकरियों एवं कर्मचारियों एवं पोस्टमास्टर के द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत घोर अनियमितता बरतने के संबंध में श्री दिनेश कुमार भूतपूर्व सैनिक सतगॉवां कोडरमा का परिवाद । | 10.01.2013 | मनरेगा लोकपाल का गठन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है तथा यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अतः संबंधि मामले को मनरेगा लोकपाल धनबाद जो कोडरमा के प्रभार में भी हैं को हस्तान्तरित करते हुए परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया । |

भवन निर्माण विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|-------------------|--|-------------------|--|
| 1. | 01/लोक(भवन)130/05 | श्री दयानन्द बनाम सचिव भवन निर्माण विभाग झारखण्ड एवं अन्य निविदा पत्र के भुगतान के संबंध में । | 21.01.2013 | परिवादी पूर्व में परिवाद के निराकरण के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खरिज करते हुए वाद को निरस्त कर दिया था। अतः उक्त के आलोक में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । |

खनन विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|------------------|--|-------------------|---|
| 1. | 01/लोक(खनन)02/12 | श्री अरुण शुक्ला प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के द्वारा अपने बहनोई श्री रविन्द्र प्रसाद मिश्रा को निगम का मालदार कार्य आवंटित करने तथा अनियमित तरिके से राशि वसूलने के संबंध में श्री सुनील कुमार सिंह राँची का शिकायत । | 07.01.2012 | सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया । |

कल्याण विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|----------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 01@yksd½dY;k.k½01@12 | कल्याण विभाग द्वारा साईकल क्य हेतु निकाली गई निविदा में अनियमितता के संबंध में श्री नटवर विदसरिया एस० के० बाईक्स लुधियाना से प्राप्त शिकायत । | 29.01.2013 | परिवादी पूर्व में ही परिवाद के निराकरण के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट पिटिसन दाखिल किया है जो अभी लंबित है उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया । |

पथ निर्माण विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|---------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 01/लोक(पथ नि.)01/07 | लोलो यादव एवं अन्य ग्राम पाराडीह चतरा द्वारा बी. डी. ओ. चतरा के विरुद्ध लगाये गये आरोप से संबंधित शिकायत पत्र । | 30.01.2013 | उपायुक्त चतरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अधुरे सड़क निर्माण का कार्य पुर्ण कर लिया गया है तथा परिवादी के परिवाद का निराकरण हो गया है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया । |

जल संसाधन विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|---------------------|--|-------------------|--|
| 1. | 01/लोक(जल सं) 02/12 | झालको कर्मियों का माह अप्रैल 2011 से अबतक का वेतन भुगतान एवं जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन किये जाने के संबंध में झालको द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र । | 30.01.2013 | झालको एवं उप सचिव जल संसाधन विभाग के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

स्वास्थ्य विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|--------------------|--|-------------------|--|
| 1. | 02/लोक(स्वा0)05/11 | A.C.P. लाभ के संबंध में श्री बाबुलाल पंडित का शिकायत । | 08.01.2013 | संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को उनके सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद के निराकरण के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|--------------------|---|-------------------|---|
| 1. | 01/लोक(पशु)50/2005 | डा० मुरलीधर झा निदेशक पशुपालन द० छ० प्रक्षेत्र राँची द्वारा अनियमित तरिके से धन अर्जित करने के संबंध में ए० के पाण्डेय, धनबाद का परिवाद । | 08.01.2013 | निगरानी ब्यूरो बिहार पटना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये आरोप सही नहीं पाये गये तथा परिवादी छदम पाये गये के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया । |

विविध

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|--------------------|--|-------------------|---|
| 1. | 02/लोक(विविध)03/12 | श्री जोसेफ स्वामी, जिला खेल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के लंबित पेंशनादि राशि के भुगतान कराने की स्वीकृति दिलाने के संबंध में शिकायत । | 10.01.2013 | सचिव, कला,संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सेवाकाल के दौरान गलत तरिके से प्रोन्नति दिया गया तथा उन्हें वेतन के रूप में अत्यधिक भुगतान किया गया जिसके वसूली के पश्चात पेंशन का निर्धारण पर कार्रवाई की जाएगी । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2. | 02/लोक(विविध)17/12 | पारिवारिक पेंशन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्रीमती कमला सिंह पूर्वी सिंहभूम का शिकायत । | 07.01.2013 | कोषागार पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार यह परिवाद रक्षा सेवा के अन्तर्गत भारतीय सेना से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया । |

शिकायत / परिवाद जनवरी-2013

| क्रम सं० | संचिका संख्या | विषय | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश |
|----------|---------------------------|---|-------------------|---|
| 1. | शिकायत सं. 746/12 | माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव को प्रोन्नति नहीं देने एवं प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत । | 04.01.2013 | माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा पूर्व में ही उचित अदेश पारित किया जा चुका है। यदि आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो परिवादी को अन्य कानूनी उपचार प्राप्त है उसे उसका सहारा लेना चाहिए । उक्त के आलोक में परिवाद को बन्द कर दिया गया । |
| 2. | शिकायत सं. 806/12 | वाणिज्यकर सहायक आयुक्त से उपायुक्त में प्रोन्नति व ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिलने के संबंध में श्री ए. के. सिन्हा राँची का शिकायत । | 08.01.2013 | इस प्रकार के शिकायत जो सेवा संहिता से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 3. | शिकायत सं० 106/12 | वाणिज्यकर धनबाद प्रमंडल में कार्यरत कर्मियों को स्थानान्तरित करने के पश्चात विरमित नहीं करने तथा काली कमाई करने के संबंध में श्री अवधेश सिंह से प्राप्त शिकायत । | 08.01.2013 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 4. | शिकायत सं. 838/12 | सरकारी नियमानुसार छुट्टी नहीं देने के संबंध में श्री संजय कुमार वर्मा, दुमका का शिकायत । | 10.01.2013 | इस प्रकार के शिकायत जो सेवा संहिता से संबंधित है झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 5. | शिकायत सं. 737 एवं 724/12 | परिवादी के जमीन में अतिक्रमण करने वाले आरोपी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री प्रवाल शंकर हजारीबाग का शिकायत । | 10.01.2013 | परिवादी के माँ के द्वारा इसी वाद पर पूर्व में दाखिल परिवाद सं. 724/12 को माननीय लोकायुक्त के द्वारा अपोषणीय मानते हुए संचिकास्त कर दिया गया है । पुनः इसी विषय पर दाखिल परिवाद को अपोषणीय मानते हुए संचिकास्त कर दिया गया । |
| 6. | शिकायत सं.728/12 | पारा शिक्षक के रूप में चयनित एवं अनुमोदित होने के बाद भी मानदेय रोक दिये जाने संबंधी श्रीमती नितु तिवारी पारा शिक्षक प्रा० वि० कसरायडीह देवघर से प्राप्त शिकायत । | 04.01.2013 | परिवाद के साथ न तो शपथ पत्र है और न ही हस्ताक्षर किया गया है तथा इस परिवाद पर पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है जो लम्बित है । अतः उक्त के आलोक में परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । |
| 7. | शिकायत सं० 803/12 | श्री शालीग्राम सिंह सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, हिन्दी मध्य विद्यालय हल्दीपोखर, जमशेदपुर के सेवान्त लाभ | 09.01.2013 | यह शिकायत सरकार के नितिगत फ़ैसलों से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------------|---|
| | | बकाया के संबंध में शिकायत । | | नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त के द्वारा बन्द कर दिया गया । |
| 8. | शिकायत सं. 843/12 | आर0 ई0 ओ0 कार्यालय में कार्यालयावधि में पार्टी मनाने के संबंध में श्री शिवशंकर शर्मा नगड़ी राँची का शिकायत । | 24.01.2013 | परिवाद की समीक्षोपरान्त यह प्रतीत होता है कि यह परिवाद किसी कुप्रशासन से संबंधित नहीं है । अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 9. | शिकायत सं. 402/12 | मुखिया एवं रोजगार सेवक द्वारा फर्जी तरिके से मनरेगा योजना की राशि की निकासी किये जाने के संबंध में श्री उत्तम चौधरी पोड़ैयाहाट का शिकायत । | 29.01.2013 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 10. | शिकायत सं. 827/12 | गिरीडिह मु0 थाना काण्ड सं0131/11 द्वारा झूठा मुकदमा में फसाने के कारण हुई मानसिक प्रताड़ना एवं जेल भेजने के एवज में क्षतिपूर्ति देने की मांग के संबंध में मो0 बबलू तथा रूसतम सोहराब आदि से प्राप्त शिकायत । | 29.01.2013 | शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत से संबंधित याचिक अन्य कई प्राधिकार में दाखिल किया है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 11. | शिकायत सं. 822/12 | झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने के संबंध में श्री बिरजू ठाकुर साहेबगंज का शिकायत । | 29.01.2013 | परिवाद अतिविलंब से दाखिल किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत कालबाधित रहने के कारण पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त के द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 12. | शिकायत सं. 852/12 | श्री अजय कुमार सिंह सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में परवेज हयात द्वारा प्राप्त शिकायत । | 29.01.2013 | यह शिकायत पुर्णतः अस्पष्ट है तथा साक्ष्य के रूप किसी प्रकार का कोई कागजात भी संलग्न नहीं है। अतः इस प्रकार के शिकायत पत्र पर कार्रवाई संभव नहीं है। अतः शिकायत को खारिज करते हुए इसे बन्द कर दिया गया । |
| 13. | शिकायत सं. 745/12 | साहेबगंज जिला अन्तर्गत बोरियो प्रखण्ड में मनरेगा व अन्य योजनाओं में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा राशि का बंदरबांट करने के संबंध में श्री मुरलीधर तिवारी साहेबगंज का शिकायत । | 07.01.2013 | यह शिकायत मनरेगा लोकपाल दुमका जो साहेबगंज के प्रभार में भी हैं को हस्तान्तरित करते हुए बन्द कर दिया गया । |
| 14. | शिकायत सं0 420/12 | ग्राम पंचायत कुलगो डुमरी जिला गिरिडीह में मुखिया उप मुखियाव रोजगार सेवक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में योगेन्द्र प्रसाद साव का शिकायत । | 29.01.2013 | शिकायतकर्ता संबंधित शिकायत मनरेगा लोकपाल में भी दाखिल किया है । अतः इस शिकायत पर समानान्तर कार्रवाई झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत संभव नहीं है। शिकायत को खारिज कर दिया गया । |